

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11465/4958

दिनांक :- 15/01/2020

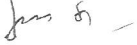
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री दुर्गपाल सिंह [लिंक न. 11465] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, पाली - [1085] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/01/2019 से 20/01/2019 तक 20 दिवस

कुल 20 दिवस

उक्त कुल 20 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री दुर्गपाल सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11465/4958

दिनांक :- 15/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, पाली
2. कोषाधिकारी पाली
3. श्री /श्रीमती / सुश्री दुर्गपाल सिंह [11465] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, पाली
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)